



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1312]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 26, 2016/ज्येष्ठ 5, 1938

No. 1312]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 26, 2016/JYAISTHA 5, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2016

**का.आ. 1900(अ).**—यतः दिल्ली मुख्य योजना-2021 में इसके अन्तर्गत उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार का जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 14 नवम्बर, 2014 की का.आ.सं. 2916(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा(3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः इन प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त हुए आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है; और  
3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मुख्य योजना-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है:

4. अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

**संशोधन:**

व्यौरा निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	अवस्थिति	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमि उपयोग (दि.मु.यो-2021)	जिसमें भूमि उपयोग परिवर्तित किया जाना है	सीमाएं
1.	हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली के समीप सुंदर नर्सरी का क्षेत्र, जो योजना जोन-'डी' में आता है।	17.0	कृषि/हरित पट्टी एवं जलाशय (पौधशाला)	'मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क)	<b>उत्तर:</b> वन्य प्राणी पार्क <b>दक्षिण:</b> स्मारक और हुमायूं का मकबरा <b>पूर्व:</b> भारत स्काउट्स गाइड मैप ग्राउण्ड /रिंग रोड <b>पश्चिम:</b> दिल्ली पब्लिक स्कूल/ मथुरा रोड

[फा. सं. के-13011/9/2008-डीडी-1]

सुनील कुमार, अवर सचिव

**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**

(DELHI DIVISION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th May, 2016

**S.O.1900(E).**—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. 2916(E) dated 14.11.2014 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section-44 of the Delhi Development Act 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section(3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas 'objections/suggestions' received with regard to the proposed modification have been considered by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government have after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

**MODIFICATION:**

The details are as under:

S. No	Location	Area (in ha.)	Land Use (MPD -2021)	Land use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5	6
1.	Area in respect of Sunder Nursery near Humayun's Tomb, New Delhi, falling in Planning, Zone-D	17.0	Agriculture/ Green Belt & Water Body (Plant Nursery)	Recreational (District Park)	<b>North</b> –Zoological Park, <b>South</b> -Monuments & Humayun's Tomb; <b>East</b> -Bharat Scouts Guide Map Ground/Ring Road; <b>West</b> -Delhi Public School & Mathura Road.

[ F.No. K-13011/9/2008-.DD.I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.